31 मार्च तक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के निबंधन विस्तार का होगा निबटारा

- बिहार रेरा की ओर से आयोजित की गई कार्यशाला
- समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने को लेकर किया गया गया जागरूक

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : बिहार रेरा इसी माह 31 मार्च तक निबंधन अवधी विस्तार के लिए जमा किए गए सभी अवादेनों के मामलों का निबटारा कर देगा।

ऐसी परियोजनाएं जिनका 80 प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है, जरूरी शुल्क के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर दिए गए हैं और रेरा न्यायालय का कोई विशेष आदेश पारित नहीं हुआ है, उनका निपटारा किया जाएगा। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने प्रमोटरों की लिए आयोजित कार्यशाला में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण चाहता है कि सभी निबंधित परियोजनाएं तय समय में पूरी हों, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अवधि विस्तार भी दिया जा सकता है ताकि परियोजना पूरी हो सके और जिन लोगों ने परियोजना में पैसा लगाया है उन्हें उनका घर मिल सके। कार्यशाला का उद्देश्य ऐसे प्रमोटरों को जागरूक करना था जिनकी परियोजनाओं का निबंधन एक अप्रैल से 30 जून के बीच ख़त्म होने वाला है। ऐसी दो कार्यशालाएं पहले भी आयोजित की जा चुकी हैं। कार्यशाला में ऐसी 40 परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। कार्यशाला में रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने से न सिर्फ घर खरीदारों के हितो की रक्षा होती है बल्कि प्रमोटरों की भी साख बनती है तथा उनकी रैंकिंग में भी सुधार होता है। रेरा बिहार के सचिव आलोक कुमार ने प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्य से परिचित कराया तथा विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश थदानी ने उन्हें जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी।